

247

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर
वित्त (नियम) विभाग, मुख्यालय

क्रमांक - एफ4(13)/वित्त/नियम/09/2017/ 6135

दिनांक - 23/10/17

परिपत्र

प्रायः यह देखने में आया है कि मुख्य प्रबन्धक एवं प्रबन्धक (वित्त) द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्तियों के अनुसार कार्यवाही नहीं की जा रही। मुख्यालय से अनावश्यक पत्र व्यवहार किया जाता है। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 05.09.2017 को मुख्यालय में आयोजित मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त) की बैठक में भी निर्णय लिया गया है कि सभी मुख्य प्रबन्धक एवं प्रबन्धक (वित्त) प्रदत्त वित्तीय शक्तियों का पूर्ण अध्ययन कर तदनुसार कार्यवाही करें एवं अनावश्यक रूप से मुख्यालय से पत्र व्यवहार न करें।

अतः समस्त इकाई प्रभारियों एवं प्रबन्धक (वित्त) को निर्देशित किया जाता है कि कार्यालय आदेश संख्या एफ4(13)/वित्त/नियम/09/2015/9792 दिनांक 26.10.2015 एवं 629 दिनांक 03.02.2017 के अन्तर्गत प्रदत्त वित्तीय शक्तियों का पूर्ण अध्ययन कर तदनुसार कार्यवाही करें। इस सम्बन्ध में अनावश्यक रूप से पत्राचार न करें।


(रेखा भास्कर)

वित्तीय सलाहकार

क्रमांक :- एफ4(13)/वित्त/नियम/09/2017/ 6135

दिनांक - 22/10/17

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
2. कार्यकारी निदेशक () रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
3. महा प्रबन्धक/संयुक्त महा प्रबन्धक () रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
4. उप महाप्रबन्धक/कार्यकारी प्रबन्धक() रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
5. उप महाप्रबन्धक (आई.टी) निगम के वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
6. निगम सचिव, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
7. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी के0का0
8. कार्यकारी प्रबन्धक (बजट)/सुरक्षा अधिकारी, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
9. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त), रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
10. सहायक लेखाधिकारी () रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।


महा प्रबन्धक (वित्त)।